विचार बिन्दु

जो तेरे सामने और की निंदा करता है, वो और के सामने तेरी निंदा करेगा। –कहावत

सत्ता से असहमति और विरोध ही लोकतंत्र की आत्मा

लोकतंत्र की आत्मा असहमति में बसती है। प्रश्न करने का अधिकार, विरोध दर्ज कराने की स्वतंत्रता और सत्ता से जवाब मांगने की क्षमता ही किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की असली पहचान होती है। लेकिन शासन व्यवस्था या सत्तारूढ़ नेतृत्व को स्वभावत: असहमति असहज लगती है। मगर यहीं पर उनकी सच्ची पहचान होती है कि वे कितने सहिष्णु हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि असहमति लोकतंत्र की प्राणवायुहोती है। लोकतंत्र केवल मतदान की प्रक्रिया भर नहीं होता है जिसमें मतदाता ने वोट के जरिए अपनी राय व्यक्त कर दी और उसकी भागीदारी का काम पूरा हो गया। लोकतान्त्रिक भागीदारी की प्रक्रिया निरंतर संवाद, आलोचना और सुधार की होती है। असहमति सत्ता को जवाबदेह बनाती है, नीतियों की खामियों को उजागर करती है और समाज को वैचारिक रूप से जीवंत रखती है। जिस लोकतंत्र में केवल प्रशंसा स्वीकार्य हो और आलोचना अपराध बन जाए, वह लोकतंत्र नहीं, बल्कि बहुमत के आवरण में छिपा अधिनायकवाद ही कहा जाएगा। लेकिन असहमति और विरोध का अर्थ हिंसा या अराजकता फैलाना नहीं होता। शांतिपूर्ण प्रदर्शन, लेखन, भाषण, कला, व्यंग्य और सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति, ये सभी विरोध के वैध तरीके हैं जिन्हें भारतीय संविधान में बड़े जतन से संजोया गया है। किन्तु समस्या तब पैदा होती है जब सत्तासंविधान की भावना को नज़रन्दाज़ करते हुए नये-नये कानून बनाती है और शब्दों के विधिक अर्थों से यह तय करने लगाती है कि कौन-सा विरोध 'उचित' है और कौन-सा 'अनुचित'। यह समस्या तब और घनी हो उठती है जब सत्ता कानून बना कर विरोध को 'अपराध' घोषित करने लगती है और नागरिक प्रशासन तथा पुलिस तंत्र पर मुकदमें बनाने का निर्णय छोड़ देती है। यह किसी से छुपा नहीं है कि लोकतान्त्रिक शासन-प्रशासन में लगे लोगों के मन में अब भी सामंती सोच घुसा हुआ है और वे संविधान को नहीं सत्ता में बैठे नेतृत्व की ओर ताकते हैं और उसे ही प्रसन्न रखने के प्रयत्न करते रहते हैं। यहीं अभिव्यक्ति की संविधान सम्मत आज़ादी पर प्रहार शुरू होता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के पन्नों में रह जाती है। विरोध के स्वर उठाने वाले अदालतों की लंबी ट्रायल से पहले ही बरसों जेलों में बंद रहते हैं। आजादी के एक दशक बाद शाइर साहिर लुधियानवी ने 'फिर सुबह होगी' फिल्म के लिए एक गीत में लिखा था, हक़ मांगने वालों को जिस दिन सूली ना दिखाई जाएगी, वह सुबह कभी तो आएगी। ये लाइनें उन्होंने एक सच्चे लोकतंत्र की गहरी आस में लिखी थी। आजादी के 75 साल से अधिक होने पर भी यह आस यदि पूरी नहीं हो रहे है तो उसका कारण सामंती मानसिकता और सत्ता का अहंकार ही कहा जा सकता है। भारतीय समाज तथा प्रशासनिक ढांचे में औपनिवेशिक शासन और सामंती सोच की छाया अब भी मौजूद है, जहां सत्ता को चुनौती देना 'अपराध' माना जाता है। विरोध करने वाला नागरिक नहीं, बल्कि 'उपद्रवी', 'अराजक तत्व' या 'राष्ट्रिवरोधी' के रूप में चिन्हित किया जाता है। यह मानसिकता स्पष्टत: लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सत्ता जनता की सेवक होती है, स्वामी नहीं। लेकिन जब सत्ता स्वयं को अचूक और आलोचना से परे मानने लगे, तब असहमति को कुचलना उसका सहज व्यवहार बन जाता है। वैचारिक असहमति को राज्य के खिलाफ षड्यन्त्र मान लिया जाता है और उससे निबटने के लिए संसदीय बहुमत के जरिए बिना किसी गंभीर बहस के कानून में कठोर प्रावधान कर दिए जाना आम बात हो गई है।

सवाल उठता है कि विरोध की परिभाषा किसके हाथ में हो? सबसे खतरनाक स्थिति तब बनती है जब 'विरोध की अभिव्यक्ति' की परिभाषा नौकरशाही और पुलिस के विवेक पर छोड़ दी जाती है। हालांकि जांच एजेंसियों द्वारा बनाए गये मुकदमों का अंतिम फैसला सर्वोच्च अदालत करती है जहां हमने देखा है कि जुर्म के आरोप से बरी होने का फैसला आते-आते मुजरिम की उम्र का बड़ा हिस्सा जेल की कोठरियों में बीत जाता है। व्यवहार में अक्सर देखा जाता है कि प्रशासनिक तंत्र, सरकार के प्रत्येक विरोध को 'कानून-व्यवस्था की समस्या' के रूप में देखने लगता है। इन एजेंसियों को विरोध का हर स्वर हिंसा फैलने की आशंका वाला लगता है। जांच एजेंसियों का काम होना चाहिए कि वह निष्पक्ष छानबीन करे। मगर यह एजेंसियां प्रत्येक मामले में खुद पक्षकार बन बैठती है। अदालतों के अनेक फैसले हैं जिनमें सामने आया कि जांच एजेंसियों ने किसी को फंसाने के लिए चयनित तरीके से सबूत खोजे या बनाए तथा उन साक्ष्यों को जानबूझ कर नज़रन्दाज़ किया जो बनाए जा रहे केस को कमजोर करता है और मुल्जिम छूट सकता है। मामला शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति, कानून की धाराओं, लाठी और गिरफ्तारी के जाल में उलझा दिया जाता है। यह स्थिति तब और भयावह हो जाती है जब पुलिस और नौकरशाही भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हो, राजनीतिक दबावों के आगे नतमस्तक हो और प्रशासन तंत्र में नागरिक अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता का अभाव हो। पुलिस, सीबीआई, ईडी या एनआईए जैसी विधिक जांच एजेंसियों का संवैधानिक दायित्व बनता है कि वे निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और सत्य-आधारित जांच करें। उनका कार्य किसी व्यक्ति को फंसाना नहीं, बल्कि सत्य तक पहुंचना होता है। परंतु व्यवहार में अक्सर यह देखा गया है कि जांच एजेंसियां स्वयं ही अभियोजन पक्ष का विस्तार बन जाती हैं और निरपराधता के साक्ष्यों को नज़रअंदाज़ कर देती हैं। इस प्रवृत्ति पर न्यायालयों ने भी बार-बार गंभीर टिप्पणियां की है। कानून स्पष्ट है कि जांच एजेंसी को दोष और निर्दोष-दोनों प्रकार के साक्ष्य समान ईमानदारी से एकत्र करने चाहिए। लेकिन व्यवहार में पहले गिरफ्तारी, फिर सबूत की प्रवृत्ति दिखाई देती है। एक बार जब एजेंसी किसी व्यक्ति को आरोपी मान लेती है, तो उसके बाद पूरी जांच उसी धारणा को सिद्ध करने में लग जाती है, जो न्याय की मूल भावना के विपरीत है। यह समस्या केवल कुछ मामलों की नहीं, बल्कि प्रणालीगत है। एक लोकतांत्रिक राज्य में जांच एजेंसी की सबसे बड़ी निष्ठा सत्ता के प्रति नहीं, बल्कि संविधान, कानून और सत्य के प्रति होनी चाहिए-यही न्याय का आधार होता है। प्रशासनिक और पुलिस तंत्र ईमानदार, सक्षम और पेशेवर हो, तब भी असहमति के प्रबंधन में सावधानी अपेक्षित होती है। लेकिन जब यही तंत्र भ्रष्टाचार, अक्षमता और राजनीतिक हस्तक्षेप से ग्रस्त हो, तब उसे असहमति पर नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपना लोकतंत्र के लिए आत्मघाती सिद्ध हो सकता है। ऐसे तंत्र में कानून का प्रयोग न्याय के लिए नहीं, बल्कि सत्ता की सुविधा के लिए किया जाता है। विरोध करने वालों पर कठोर धाराएं लगाई जाती हैं, लंबी पूछताछ, हिरासत और मुकदमों के जरिए उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ा जाता है। उद्देश्य न्याय नहीं, बल्कि संदेश देना होता है कि, विरोध की कीमत चुकानी पड़ेगी।

असहमति और विरोध लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत होती हैं। जब सत्ता इन्हें सहन नहीं कर पाती, तब लोकतंत्र खोखला होने लगता है। विरोध की अभिव्यक्ति को नौकरशाही और पुलिस के विवेक पर छोड़ देना, विशेषकर ऐसे समाज में जो अभी सामंती सोच और भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ है, लोकतंत्र के लिए अत्यंत खतरनाक है। लोकतंत्र की खूबसूरती तभी बनी रह सकती है जब सत्ता में बैठे लोग आलोचना से डरें नहीं, बल्कि उससे सीखें; और जब नागरिक बिना भय के अपनी बात कह सकें।

न्याय की सत्ता स्थापित करने के लिए संविधान ने न्यायपालिका और कार्यपालिका को पूरी तरह अलग रखते हुए अदालतों को नागरिक अधिकारों का अंतिम प्रहरी बनाया गया है। लेकिन जब न्याय प्रक्रिया वर्षों लंबी खिंच जाए, तब 'न्याय में देरी' स्वयं अन्याय का रूप ले लेती है। अभिव्यक्ति के कितने ही मामले ऐसे होते हैं जिनमें इसी आधार पर कोई अपराधी मान लिया जाता है कि उसका कोई वक्तव्य या भाषण विभाजनकारी है या विद्वेष फैलाने वाला है। वर्षों बाद अदालत यह निर्णय देती है कि ऐसा नहीं था। उसके खिलाफ मामला निराधार था। लेकिन तब तक उसका जीवन, करियर, प्रतिष्ठा और मानसिक शांति नष्ट हो चुकी होती है। सवाल यह है कि इस क्षति की भरपाई कौन करेगा? क्या वर्षों तक मुकदमे झेलना, जेल जाना और सामाजिक बदनामी सहना ही सजा नहीं है-भले ही अंतत: बरी कर दिया जाए? कानून का भय, न्याय की धीमी गति और प्रशासनिक उत्पीड़न की ऐसी स्थिति असहमति के दमन का सबसे खतरनाक हथियार बन जाती है। जब विरोध को अपराध बना दिया जाता है, तब समाज में भय का लोकतंत्र जन्म लेता है। लोग चुप रहना सीख जाते हैं, प्रश्न पूछने से कतराने लगते हैं और आत्म-सेंसरशिप सामान्य व्यवहार बन जाती है। यह स्थिति किसी भी समाज के बौद्धिक और नैतिक पतन का संकेत होती है। इसके विपरीत, स्वस्थ लोकतंत्र संवाद से चलता है, जहां सत्ता आलोचना को अपने सुधार का अवसर मानती है, और असहमति को देशद्रोह नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक ऊर्जा के रूप में देखती है। इस संकट से निकलने के लिए कुछ बुनियादी सुधार अनिवार्य हैं। पहला, विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर स्पष्ट, संकीर्ण न होने वाली कानूनी परिभाषाएं तय की जाएं, ताकि उनका दुरुपयोग न हो सके। दूसरा, पुलिस और प्रशासनिक सुधार हो जिसमें उन्हें राजनीतिक दबाव से मुक्त, जवाबदेह और नागरिक अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनानाया जाए। तीसरा, अदालतों में त्वरित सुनवाई की व्यवस्था, विशेषकर अभिव्यक्ति से जुड़े मामलों में, ताकि 'प्रक्रिया ही सजा' न बन जाए। और चौथा, समाज में लोकतांत्रिक संस्कारों का विस्तार हो जिसमें यह समझ बने कि विरोध देशद्रोह नहीं, बल्कि देशप्रेम का ही एक रूप होता है। असहमति और विरोध लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत होती हैं। जब सत्ता इन्हें सहन नहीं कर पाती, तब लोकतंत्र खोखला होने लगता है। विरोध की अभिव्यक्ति को नौकरशाही और पुलिस के विवेक पर छोड़ देना, विशेषकर ऐसे समाज में जो अभी सामंती सोच और भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ है, लोकतंत्र के लिए अत्यंत खतरनाक है। लोकतंत्र की खूबसूरती तभी बनी रह सकती है जब सत्ता में बैठे लोग आलोचना से डरें नहीं, बल्कि उससे सीखें; और जब नागरिक बिना भय के अपनी बात कह सकें।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

भारतीय सेना का "प्रोजेक्ट नमन" : वीरों के सम्मान और परिवारों के संबल की मिसाल

15 जनवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूरतगढ़ में 100वें (नमन) केंद्र का उद्घाटन किया था

आकाश बैरवा

देश की रक्षा में अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले वीर सैनिकों और उनके परिजनों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिये केंद्र सरकार और भारतीय सेना द्वारा प्रोजेक्ट नमन संचालित किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट शहीद सैनिकों के परिवारों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को सम्मानजनक, संवेदनशील और त्वरित सहायता प्रदान करने की एक सशक्त पहल है।

हाल ही में 15 जनवरी को जयपुर में आयोजित 78 वें गौरवशाली सेना दिवस परेड समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में 100वें (नमन) केंद्र का उद्घाटन किया, जो पूर्व सैनिकों को सहायता और सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है और यह पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी पहल है।

एकल-खिड़की के ज़रिए मिलेगा परिजनों को मार्गदर्शन :- प्रोजेक्ट नमन का मुख्य उद्देश्य शहीदों के परिजनों एवं पूर्व सैनिकों को पेंशन, अनुग्रह राशि, चिकित्सा, पुनर्वास, रोजगार और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रक्रियाओं में मार्गदर्शन और सहायता उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत सेना मुख्यालयों, रेजिमेंटल सेंटरों तथा सैन्य प्रतिष्ठानों में नमन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहाँ प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा एकल-खिड़की प्रणाली के तहत सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका मानवीय दृष्टिकोण है। यहाँ कागजी कार्यवाही पर बल नहीं देकर शहीद परिवारों और पूर्व सैनिकों को सम्मान, सहानुभूति और आत्मीयता के साथ सुना जाता है, जल्द से जल्द सहायता उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाता है। नमन शब्द अपने आप में आदर और श्रद्धा का प्रतीक है, जो इस पहल की भावना को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

सेना शहीद सैनिकों के परिवार के साथ :- प्रोजेक्ट नमन ने सेना और सैनिक परिवारों के बीच आपसी विश्वास को और अधिक सुदृढ़ किया है। यह पहल यह सुनिश्चित करती है कि राष्ट्र की सेवा में बलिदान देने वाले सैनिकों के परिवार स्वयं को कभी अकेला न महसूस करें। साथ ही, यह प्रोजेक्ट युवाओं में देशभक्ति और सेना के प्रति सम्मान की भावना को भी और अधिक सशक्त करता है।

भारतीय सेना सेवा से पहले, सेवा के दौरान और सेवा के बाद सदैव तत्पर-

समग्र रूप से, भारतीय सेना का प्रोजेक्ट नमन केवल एक कल्याणकारी योजना नहीं बल्कि राष्ट्र की ओर से अपने वीर सपूतों और उनके परिवारों को दिया जा रहा सम्मान और संबल है। यह प्रोजेक्ट और इसकी भावना भारतीय सेना की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें सेवा से पहले, सेवा के दौरान और सेवा के बाद सैनिकों और उनके परिवारों का सदैव ध्यान रखा जाता है।

भारतीय सेना-शौर्य एवं बलिदान की परंपरा की थीम पर गत दिवस जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट नमन के तहत सूरतगढ़ में 100वें नमन सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। नमन सेंटर रक्षा पेंशनभोगियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सहयोग और सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाये गए हैं। इनकी शुरूआत से पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को देखभाल और सहायता मिलेगी। भारतीय सेना के नमन केंद्र पूर्व सैनिकों, पेंशनभोगियों और शहीद सैनिकों के परिवारों को स्पर्श-सक्षम बैंकिंग व प्रशासनिक सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने वाले कॉमन सर्विस सेंटर हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य रक्षा समुदाय को डिजिटल सेवाएं प्रदान कर उनकी सहायता और कल्याण सुनिश्चित करना है।

स्पर्श पोर्टल के माध्यम से पेंशन संबंधी जानकारी, सरकारी कागजी कार्रवाई और शिकायत निवारण में मदद करना है। यह केंद्र पूर्व सैनिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाते हैं, जिससे उन्हें कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते है। पहले चरण में दिल्ली, लेह, लखनऊ, जोधपुर सहित 14 प्रमुख स्थानों पर ये केंद्र स्थापित किए गए हैं। नमन सेंटर रक्षा पेंशनभोगियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सहयोग और सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाये गए हैं। इनकी शुरूआत से पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को देखभाल और सहायता मिलेगी।

–आकाश बैरवा,
एपीआरओ, डीआईपीआर

'सबका साथ, सबका विश्वास' के आधार पर बने यूजीसी विनियम

सूर्यप्रतापसिंह राजावत

यूजीसी विनियम 2026 का विवाद उन तीन चिंताओं की याद दिलाता है जिन्हें डॉ. अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में सही तरीके से उजागर किया था। डॉ. अंबेडकर ने कहा था कि आज़ादी मिलने के बाद, भारत को क्रांति के खूनी तरीकों को छोड़ देना चाहिए। इसका कारण यह है कि जब संवैधानिक तरीके खुले हैं, तो असंवैधानिक तरीकों का कोई औचित्य नहीं हो सकता। दूसरा, उन्होंने चेतावनी दी कि राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन का पक्का रास्ता है।

तीसरी बात, जिसकी उन्होंने गणतंत्र भारत से उम्मीद की थी, वह यह है कि राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाया जाए? डॉ. अंबेडकर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो। उन्होंने सामाजिक लोकतंत्र को समझाते हुए कहा कि इसका मतलब है "जीवन जीने का एक ऐसा तरीका जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को जीवन के सिद्धांतों के रूप में पहचानता है। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के इन सिद्धांतों को त्रिमूर्ति में अलग-अलग चीज़ों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। वे त्रिमूर्ति का एक संघ बनाते हैं, इस अर्थ में कि एक को दूसरे से अलग करना लोकतंत्र के मूल उद्देश्य को ही खत्म करना है। स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता, समानता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता। और न ही स्वतंत्रता और समानता को भाईचारे से अलग किया जा सकता है। समानता के बिना, स्वतंत्रता कुछ लोगों का बहुत से लोगों पर वर्चस्व पैदा करेगी। स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहल को खत्म कर देगी। भाईचारे के बिना, स्वतंत्रता और समानता स्वाभाविक रूप से चीज़ों का हिस्सा नहीं बन सकतीं।"

यूजीसी विनियम को सीधे तौर पर पढ़ने से यह साफ हो जाता है कि इसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की बुनियादी कानूनी समझ की कमी है। रेगुलेशन की यह योजना मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 14 के तहत समानता का सीधा उल्लंघन है। यूजीसी गाइडलाइंस में एक बड़ा ऑब्जेक्शन सामान्य वर्ग को अन्याय करने वाला बताकर पेश करना है। इन चिंताओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइडलाइंस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम एक जीवंत लोकतंत्र में संस्थागत चेक एंड बैलेंस के साथ-साथ शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत के महत्व को रेखांकित करता है। 77 साल के गणतंत्र भारत के बाद जो चिंता सामने आती है, वह यह है कि कानूनी प्रावधान प्रगतिशील होने चाहिए, न कि प्रतिगामी। साथ ही, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को अलग-अलग हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि भाईचारा उस पिरामिड का आधार है जहां समानता और स्वतंत्रता हासिल करने की कोशिश की जाती है। मौजूदा केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास का नारा देती है, लेकिन यूजीसीविनियम इसके बिल्कुल उलट हैं। ऐसी विफलता के लिए संबंधित मंत्रालय द्वारा तत्काल सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता है, साथ ही गलती करने वाले अधिकारियों और इस समाज विरोधी नीति को बनाने में शामिल सभी हितधारकों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह एक ऐसा काम है जो देश की एकता, अखंडता के लिए खतरा है।

यह बहुत ज़रूरी है कि भारतीय समाज के सामाजिक ताने-बाने को सही मायनों में समझा जाए। हिंदू जीवन शैली गैर-भारतीयों के लिए एक स्व-निर्मित रहस्य रही है। वर्ण व्यवस्था और जाति संरचना के बीच के अंतर को समग्र रूप से समझने की ज़रूरत है। दोनों के बीच अंतर यह है कि वर्ण व्यवस्था इंसान के जन्मजात गुणों की बात करती है, जबकि जाति व्यवस्था की नींव परिवार में जन्म पर आधारित है। संतों, समाज सुधारकों के माध्यम से हिंदू धर्म का सुधारवादी स्वभाव हिंदू जीवन शैली की पहचान रहा है। प्राचीन भारत में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य, मध्यकाल में गुरु नानक और कबीर और आधुनिक भारत में स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद इस बात का प्रमाण हैं कि हिंदू हमेशा सुधारों के लिए खुले रहे हैं।

संविधान योजना में अस्पृश्यता पर रोक और वंचितों के लिए सकारात्मक कार्रवाई स्वतंत्रता और समानता के साथ भाईचारे को बढ़ावा देने का एक और उदाहरण है। हिंदू धर्म के आलोचक अक्सर बच्चे को नहाने के पानी के साथ बाहर फेंकने की गलती कर बैठते हैं। शुरुआत में आरक्षण के प्रावधान सिर्फ़ अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए थे। इसके बाद शिक्षा, रोज़गार और चुनावी भागीदारी में आरक्षण के लाभार्थियों के समूह में अन्य पिछड़े वर्गों को भी शामिल किया गया, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिला। साथ ही, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अलग-अलग आयोग यह दिखाते हैं कि आंकड़ों में डेटा को अपडेट करने की ज़रूरत है ताकि सरकार को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के ज़मीनी स्तर पर लागू होने के बारे में जानकारी मिल सके। इससे यह निष्कर्ष और मांग भी सामने आती है कि एक अलग आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आयोग बनाया जाए। इसे या तो संवैधानिक संशोधन करके या वैधानिक निकाय के माध्यम से अस्तित्व में लाया जाए। यूजीसी विनियम 2026 के दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, अत्याचार अधिनियम का अनुभव इस बात को साबित करता है। 2026 में सामान्य वर्ग को समाज में हावी दिखाना एक मिथक है। पीरियोडिक लेबर रिपोर्ट और शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के डेटा से पता चलता है कि सामान्य वर्ग की स्थिति उतनी ऊंची नहीं है जितनी अक्सर वोट बैंक की राजनीति के भाषणों में बताई जाती है। सुप्रीम कोर्ट की वकील इंदिरा जय सिंह की यूजीसी विनियम 2026 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नकारात्मक प्रतिक्रिया कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि वह बयानबाज़ी करने वाले समूह का हिस्सा मानी जाती हैं।

भेदभाव की छिटपुट घटनाओं को मीडिया में ज़रूरत से ज़्यादा जगह दी जाती है, जिससे एक ऐसा नैरेटिव बनता है जो ज़मीनी हकीकत के बिल्कुल उलट है। आज भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति से हैं। अब तक अनुसूचित जाति के दो सदस्यों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली है। वर्तमान प्रधानमंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। ये तीनों पद संवैधानिक प्रकृति के हैं, जो 1950 से 2026 तक गणतंत्र भारत की यात्रा को दर्शाते हैं। इसलिए, सकारात्मक कार्रवाई प्रगतिशील होनी चाहिए, जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की त्रिमूर्ति में संतुलन बनाए, जिससे भारत के सभी नागरिकों की सामाजिक और राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनी रहे।

भारत दुनिया के सभी बड़े धर्मों की जन्मभूमि रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें जीवन के शाश्वत सिद्धांतों में लौकिक चीज़ों के एकीकरण, आत्मसात और संश्लेषण जैसी खास विशेषताएं हैं। भारत दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी का गवाह रहा है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ज्ञान के मंदिरों को अस्वस्थ जातिगत राजनीति का अड्डा बना दिया गया है। यूजीसीविनियम बनाने वालों को सबकासाथ, सबका विकास का नारा और रवींद्रनाथ टैगोर की कविता याद रखनी चाहिए –

जहां मन बिना किसी डर के हो और सिर ऊंचा हो
जहां ज्ञान आज़ाद हो
जहां दुनिया को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा गया हो
संकीर्ण घरेलू दीवारों से
जहां शब्द सच्चाई की गहराई से निकलते हों
जहां अथक प्रयास पूर्णता की ओर अपने हाथ बढ़ाता हो
जहां तर्क की साफ धारा
पुरानी आदतों के नीरस रेगिस्तान की रेत में अपना रास्ता न खो दे
जहां मन तेरे द्वारा आगे बढ़ाया जाए
हमेशा बढ़ते विचारों और कामों की ओर
आज़ादी के उस स्वर्ग में, हे मेरे पिता, मेरे देश को जगाओ।

–सूर्यप्रतापसिंह राजावत,
अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर

भीलवाड़ा के शंभूगढ़ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 30 साल से नहीं हुआ क्रमोन्नत

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के शंभूगढ़ पंचायत समिति मुख्यालय पर स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली अब ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गई है। 30 साल पहले जिस अस्पताल की नींव रखी गई थी, वह आज भी उसी स्थिति में है, जबकि आबादी कई गुना बढ़ चुकी है। बजट सत्र नजदीक आते ही अब ग्रामीणों ने अस्पताल को क्रमोन्नत करने और एंबुलेंस सेवा शुरू करने की मांग तेज कर दी है।

शंभूगढ़ का यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिछले तीन दशकों से अपने उद्धार की राह देख रहा है। 30 वर्ष पूर्व तत्कालीन चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने इस केंद्र का उद्घाटन किया था। उस वक्त की जरूरत के हिसाब से यह पर्याप्त था, लेकिन आज शंभूगढ़ पंचायत समिति मुख्यालय बन चुका है और जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ रहा है। बावजूद इसके, अस्पताल का दर्जा नहीं बढ़ा। संसाधनों की कमी और सीमित स्टाफ के चलते मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंभीर बीमारी होने पर ग्रामीणों को इलाज के लिए आसींद या गुलाबपुरा के चक्कर काटने पड़ते हैं। गौरतलब है कि 10 हजार की आबादी वाले शंभूगढ़ कस्बे की सेहत की जिम्मेदारी केवल एक डॉक्टर के कंधों पर है। आपातकालीन स्थिति हो या प्रसव पीड़ा, डॉक्टर की अनुपलब्धता या संसाधनों की कमी के कारण मरीजों को अक्सर रेफर कर दिया जाता है। स्थानीय ग्रामीणों ने इस बार स्थानीय विधायक जबर सिंह सांखला से भी गुहार लगाई है। उन्हें उम्मीद है कि इस बार के बजट में सरकार उनकी सुध लेगी और इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाएगा।

■ 30 साल पहले जिस अस्पताल की नींव रखी गई थी, वह आज भी उसी स्थिति में है, जबकि आबादी कई गुना बढ़ चुकी है

जानकारी के अनुसार समस्या सिर्फ अस्पताल की बिल्डिंग तक सीमित नहीं है। शंभूगढ़, राष्ट्रीय राजमार्ग 148- के नजदीक स्थित है, जहां आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। कस्बे में 108 एंबुलेंस की सुविधा न होने के कारण, दुर्घटना में घायल लोगों को समय पर अस्पताल नहीं पहुँचाया जा सकता, जिससे कई बार घायल रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। ग्रामीणों की मांग है कि अस्पताल के क्रमोन्नयन के साथ ही यहाँ 108 एंबुलेंस की स्थाई तैनाती की जाए, ताकि घायलों और गर्भवती महिलाओं की जान बचाई जा सके।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 4 फरवरी, 2026

फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, तृतीया तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2082, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 10:13 तक, अतिगंड योग रात्रि 1:04 तक, वणिज करण दिन 12:25 तक, चन्द्रमा रात्रि 4:20 से कन्या राशि में संचार करेगा।

गृह स्थिति: सूर्य-मकर, चन्द्रमा-सिंह, मंगल-मकर, बुध-कुम्भ, गुरू-मिथुन, शुक्र-मकर, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज राजयोग रात्रि 10:13 तक है। भद्रा दिन 12:25 से रात्रि 12:10 तक रहेगी। आज हर्षल मार्गी प्रात: 8:05 पर होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:59 तक, शुभ 11:19 से 12:41 तक, चर 3:24 से 4:45 तक, लाभ 4:45 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 7:15, सूर्यास्त 6:06

मेष
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

कर्क
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं।

सिंह
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।

कन्या
आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। धन हानि का भय है। अनावश्यक धन खर्च होगा। व्यावसायिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा।

तुला
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

मकर
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में वि